भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 97/सेक (ई)स्थायी आदेश नई दिल्ली, दि 18-6-97

स्थायी आदेश सं. 27

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एफ, सब भारतीय रेलें
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एस एफ, रेलवे बोर्ड

विषय : सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी स्थायी आदेश और विधि परिपत्र।

यह देखा गया है कि इस मुख्यालय द्वारा प्रशासनिक मामलों या आर पी एफ के कार्य से संबंधित नीति मामलों के बारे में जारी स्थायी आदेशों को सर्व संबंधित के ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि आर पी एफ कर्मचारी मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों से अनभिज्ञ रहते हैं।

2. मैं चाहूंगा कि इसके आगे इस कार्यालय द्वारा जारी स्थायी आदेशों और विधि परिपत्रों को चौकियों तक में परिपत्रित किया जाए। चौकी स्तर पर इन स्थायी आदेशों/परिपत्रों को अलग-अलग फाइलों में रखा जाएगा।

3. इन स्थायी आदेशों/परिपत्रों का अनुवाद क्षेत्र की प्रादेशिक भाषाओं में कराया जाए ताकि इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश की सबको जानकारी रहे और उन्हें चौकियों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाए।

4. इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

ए.पी. दुराय
महानिदेशक/आर पी